न्यायालय अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट, सिद्धार्थनगर।

UPSD010035142025

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या/1580/2025

1– अमित कुमार चौधरी पुत्र कन्हैया प्रसाद चौधरी
निवासी ग्राम व पोस्ट समरधीरा थाना पुरन्दरपुर जिला महराजगंज

......आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

...........विपक्षी

मु०अ०सं०–182/2024
धारा– 316(5),61(2) बी०एन०एस०
थाना–सिद्धार्थनगर, जिला सिद्धार्थनगर।

दिनांक–10–03–2026

1. अभियुक्त अमित कुमार चौधरी की ओर से मु०अ०सं०–182/2024, अन्तर्गत धारा 316(5),61(2) बी०एन०एस०, थाना–सिद्धार्थनगर, जनपद– सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि आवेदक/ अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त उमानन्द उपाध्याय/गणक के साथ मिलकर कूटरचित रचना व अमानत में ख्यानत एवं कार्यालय के अन्य कागजात रजिस्टर को गायब कर कार्यालय कार्य में क्षति पहुँचाया गया, चेक भुगतान रजिस्टर चोरी किया गया एवं साक्ष्यों को मिटाया गया।

3. द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी बेगुनाह एवं निर्दोष है, महज रंजिशन हैरान व परेशान करने की गरज से गलत व निराधार तथ्यो के आधार पर प्रार्थी को उपरोक्त मामले मे अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नही किया गया है। प्रार्थी ने श्रीमान जी के समक्ष यह द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र बल न देने के कारण निरस्त हो चुकी है। इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में किसी भी प्रकार की कोई जमानत आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है और न ही निस्तारित हुई है। अभियुक्त ने न ही किसी प्रकार के चेक भुगतान रजिस्टर की चोरी की है, न ही साजिश करके साक्ष्य मिटाने अथवा किसी प्रकार का कोई प्रपत्र चोरी करने का प्रयास किया है न ही किसी को अपशब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी ही दिया है। प्रार्थी सम्भ्रान्त परिवार के सदस्य है विना ट्रायल समाप्त व विना दोषसिद्ध हुए प्रार्थी के जेल चले जाने से प्रार्थी की अपूर्तिनीय क्षति होगी। प्रार्थी उक्त केस के विवेचना व विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगे व न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर हाजिर अदालत उपस्थित रहेगा। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध आपत्ति करते हुए कहा गया कि मामला गंभीर, अजमानतीय एवं आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। अतः प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाये।

5. आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि आवेदक/ अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई चेक भुगतान रजिस्टर चोरी नहीं की गयी है, न ही साक्ष्य को मिटाया गया है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने के तर्क दिये गये हैं।

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.10 16:31:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

7. अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त, सह–अभियुक्त उमानन्द उपाध्याय के साथ मिलकर कूटरचित रचना, कार्यालय से कागजात रजिस्टर गायब करने, चेक भुगतान रजिस्टर चोरी करने एवं कार्यालय को क्षति पहुंचाने व साक्ष्यों को मिटाया गया है।

8. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रि०मिस०रिट पेटिशन संख्या–713/2025 में पारित आदेश दिनांकित 17.01.2025 के माध्यम से आवेदक/ अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगायी गयी है। पुलिस द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी गयी है कि दौरान विचारण आवेदक/ अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया गया हो। प्रकरण में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 316(5) व 61(2) BNS के तहत आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। धारा 316(5) BNS किसी लोक सेवक के द्वारा शासकीय धन के गबन के अपराध हेतु दण्ड का प्रावधान करता है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, उसमें मात्र सह–अभियुक्त उमानन्द उपाध्याय द्वारा चेक भुगतान रजिस्टर अपने साथ ले जाने के कृत्य के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

9. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितयों एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **Smt. Bachchi Devi vs State Of U.P. And 3 Others 2025:AHC:136034** में पारित निर्णय **दिनांकित 12.08.2025** के अनुक्रम में आवेदक/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

10. आवेदक/अभियुक्त अमित कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा 50,000/– (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि की दो प्रतिभू, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संस्तुति पर दाखिल करने पर अभियुक्त को निम्नलिखित शर्तों के आधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

- **i.** आवेदक आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को अदालत द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रखेगा।
- **ii.** आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे अदालत के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या छेड़छाड़ की जा सके।
- **iii.** आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- **iv.** आवेदक को प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गयी हो।
- **v.** उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

इस आदेश की एक–एक प्रति संबंधित न्यायालय, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व संबंधित थाने के थाना प्रभारी को प्रेषित की जाय।

दिनॉकः–10–03–2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736